न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री भंवर लाल विश्नोई वगैरह **बनाम** श्री सोहनलाल विश्नोई वगैरह

धारा 111–128 एल0आर0ए मुकदमा 223 / 2022

13.05.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 223/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री भंवर लाल पुत्र लालू विश्नोई निवासी– पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. श्री शंकर लाल पुत्र लालू विश्नोई निवासी– पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री सोहनलाल पुत्र लालू विश्नोई निवासी–चर्च वाली गली, आजाद नगर तहसील व जिला भीलवाड़ा

2 श्री बालुलाल पुत्र नगजीराम विश्नोई निवासी– पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

3 श्री शांतीलाल पुत्र गोपीलाल विश्नोई निवासी– पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज.।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13.05.2022

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के त प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर, तहसील व जिला वाड़ा में आराजी न. 8086, 8087, 8088, 8089, 8123, कुल कि 5 रकबा 2.5417 हैक्टयर भूमि खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव क्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद न्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। दन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। ली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर, ील व जिला भीलवाडा में आराजी न. 8086, 8087, 8088, 8089, 8123, कुल कि 5 रकबा 2. हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि त्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः क सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

p/motidhar/111-128/april2022

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर, तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी न. 8086, 8087, 8088, 8089, 8123, कुल कि 5 रकबा 2.5417 हैक्टयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 500/– रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक पुर 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 **पुर** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा